



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21477-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका सं. - 74 वर्ष 2026

रितेश मौर्या उर्फ पंकज द्वारा उसकी पत्नी श्रीमती
दीपिका मौर्या

..... याची (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ,
एवं अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार तिवारी, अंजनि कुमार शुक्ला
प्रत्युत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय सं. -11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. आरंभ में ही, याची के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रार्थना की है और उन्हें दिन के दौरान प्रत्युत्तरदाता सं. 5 से 10 को हटाने की अनुमति दी जाती है।

2. याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री आशीष कुमार तिवारी और प्रत्युत्तरदातागण सं. 1, 2, 3 एवं

4 की ओर से उपस्थित विद्वान् अ.शा.अ. को सुना।

3. पक्षकारों की सहमति से, इस मामले को अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा रहा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. इस याचिका के माध्यम से, याची ने निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना की है:

- (i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2026(1) एस सी सी 500** के वाद में जारी निदेशों का पालन नहीं किए जाने के कारण, याची की गिरफ्तारी, निरोध और अभिरक्षा को अवैध, अकृत और शून्य घोषित करते हुए, प्रत्युत्तरदातगण को बंदी/याची को अपनी अवैध अभिरक्षा से प्रस्तुत करने और निर्मुक्त करने का निदेश देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति का एक रिट आदेश या निदेश जारी किया जाए।
- (ii) न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल न्यायाधीश(क.व.), न्यायालय सं. 28, प्रतापगढ़ द्वारा पारित रिमांड आदेश दिनांक 10.02.2026, इस रिट याचिका के संलग्नक सं. 6 के रूप में संलग्न, अपास्त करते हुए, उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।
- (iii) प्रत्युत्तरदाता सं. 1 के दोषी पुलिस अधिकारियों के कृत्यों के विरुद्ध विभागीय जांच आरंभ करने के लिए, परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।
- (iv) कोई अन्य रिट, आदेश या निदेश, जो यह माननीय न्यायालय वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित और उपयुक्त समझे, जारी किया जाए।
- (v) याची के पक्ष में, व्यय सहित रिट याचिका अनुज्ञात की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. विद्वान् अ.शा.अ. ने मूल केस डायरी प्रस्तुत की है, जिसका न्यायालय द्वारा परिशीलन किया गया है।

6. इस याचिका में अंतर्ग्रस्त विवाद बहुत संकीर्ण परिधि में घूमता है।

7. याची के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि याची को 09.02.2026 को गिरफ्तार किया गया था और विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10.02.2026 को रिमांड आदेश पारित किया था, जिसकी एक प्रति याचिका के साथ संलग्नक-6 के रूप में संलग्न है। यह गिरफ्तारी माननीय उच्चतम न्यायालय के **मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य** 2026 (1) एस सी सी 500 के वाद निर्णय के आज्ञापक उपबंधों का पालन किए बिना की गई है, और परिणामस्वरूप, यह गिरफ्तारी और उसके बाद विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त रिमांड विधि की दृष्टि में दूषित है।

8. इस संबंध में, याची के विद्वान् अधिवक्ता ने इस न्यायालय के **शिवम चौरसिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** 2026 ए एच सी एल के ओ 10501 डी बी के वाद निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है।

9. दूसरी ओर, विद्वान् अ.शा.अ. ने कहा है कि गिरफ्तारी जाप देखने पर, जिसकी एक प्रति याचिका के संलग्नक-3 में दाखिल की गई है, इंगित होता है कि गिरफ्तारी के आधारों से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संबंधित कॉलम (कॉलम 13) रिक्त है, और जहां तक कॉलम 12 में गिरफ्तारी के कारणों का संबंध है, वहां केवल एक बहुत अस्पष्ट वाक्य उल्लिखित किया गया है।

10. न्यायालय ने गिरफ्तारी ज्ञापन का परिशीलन किया है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि गिरफ्तारी के आधारों से संबंधित कॉलम रिक्त है, जबकि गिरफ्तारी के कारणों के सामने एक अस्पष्ट वाक्य, अर्थात्, 'लूट की घटना में संलिप्तता (आपराधिक षड्यंत्र करते हुए लूट कराई गई)' उल्लिखित है।

11. इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा **शिवम चौरसिया (उपर्युक्त)** के वाद में दिए गए निर्णय का निर्देश करना उपयुक्त होगा, जिसमें इस न्यायालय ने **मिहिर राजेश शाह (उपर्युक्त)** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर विचार करने के बाद, निम्नवत् निर्णय किया है:

"20. मिहिर राजेश शाह (उपर्युक्त) के वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिशीलन से, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) पर विचार करने के पश्चात्, स्पष्ट रूप से निर्णीत किया है कि किसी व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, इसका अर्थ यह है कि यह

राज्य पर एक आज्ञापक और अनपवादिक कर्तव्य डालता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए। गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक आधार भी माना गया है, और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने की यह अपेक्षा केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक आज्ञापक बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा उपाय है, जिसे संविधान के भाग III में शीर्षक "मौलिक अधिकार" के अधीन सम्मिलित किया गया है।

21. सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रतर निर्णीत किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के वास्तविक प्रयोजन को पूरा करने के लिए, गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में दिए जाने चाहिए, और यह भी निर्णीत किया है कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना एक संवैधानिक अधिदेश है। तत्पश्चात्, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णीत किया है कि यदि गिरफ्तारी के कारण गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में उपलब्ध नहीं किए जाते हैं, तो इस नियम के अपालन पर, संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन होगा, जिससे गिरफ्तारी और रिमांड अवैध हो जाएंगे, और वह व्यक्ति निर्मुक्त किए जाने के लिए अधिकृत होगा। उपर्युक्त प्रक्रिया को अब से, अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की दिनांक 06.11.2025 से, की जाने वाली सभी गिरफ्तारियों पर लागू करने का निदेश दिया गया है।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. उपर्युक्त निर्णय और इस न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेक्षणों के परिशीलन से, यह निकलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) पर विचार करने के बाद, स्पष्ट रूप से निर्णीत किया है कि किसी व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, इसका अर्थ है कि यह राज्य पर एक आज्ञापक और अनपवादिक कर्तव्य डालता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए। गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर भी आधारित माना गया है, और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने की अपेक्षा केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक आज्ञापक बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा उपाय है, जिसे संविधान के भाग III में शीर्षक 'मौलिक अधिकार' के अधीन सम्मिलित किया गया है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर निर्णीत किया है कि यदि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में उपलब्ध नहीं किए जाते हैं, तो इस नियम के अपालन पर संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन होगा, जिसके परिणामस्वरूप, गिरफ्तारी और रिमांड अवैध हो जाएंगे, और वह व्यक्ति स्वतंत्र किए जाने के लिए अधिकृत होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. अतः, यद्यपि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से रिमांड प्रदान किया गया है, किन्तु यह रिमांड याची की गिरफ्तारी दिनांक 09.02.2026 का ही परिणाम है, इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मिहिर राजेश शाह (उपर्युक्त)** के व ाद में प्रतिपादित विधि, और माननीय उच्चतम न्यायालय के **गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2022(13) एस सी सी 542** के वाद में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह रिमांड आदेश भी अपास्त किए जाने योग्य है।

15. जैसी उपर्युक्त पहले ही चर्चा की जा चुकी है, गिरफ्तारी के आधारों से संबंधित गिरफ्तारी जाप रिक्त है, जबकि गिरफ्तारी के कारणों के स्थान पर केवल एक अस्पष्ट और संक्षिप्त वाक्य अभिलिखित है, जो स्पष्ट रूप से, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मिहिर राजेश शाह (उपर्युक्त)** के वाद में, और इस न्यायालय द्वारा **शिवम चौरसिया (उपर्युक्त)** के वाद में प्रतिपादित विधि की स्थापित प्रस्थापना के विरुद्ध है, अतः, यह गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को भी दूषित कर देता है।

16. इसके अतिरिक्त, क्योंकि प्रत्युत्तरादातगण द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भारत संघ बनाम शिव राज एवं अन्य, 2014(6) एस सी सी 564** के वाद में प्रतिपादित विधि की दृष्टि से, किसी प्रति शपथपत्र की मांग करने का कोई

अवसर नहीं होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"ऐसे मामले में, जहां पक्षकारों की ओर से न्यायालय में किए गए निवेदनों के आधार पर, न्यायालय सत्य का पता लगाने के लिए मूल अभिलेख समन करता है, वहां अभिवचन महत्वहीन हो जाते हैं।"

17. उपर्युक्त चर्चा की दृष्टि से, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। याची की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति की एक रिट जारी की जाती है। रिमांड आदेश दिनांक 10.02.2026 भी, जो अवैध गिरफ्तारी का ही परिणाम था, अपास्त किया जाता है।

18. याची को निर्मुक्त किया जाए, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है।

19. तथापि, प्रत्युत्तरादातगण विधि के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभिलेख, अर्थात् केस डायरी सं. सी डी-1 से सी डी-15, का परिशीलन कर लिया गया है, और उन्हें विद्वान् अ.शा.अ. को वापस लौटा दिया गया है।

मार्च 25, 2026

ए. कटियार

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"